(c) Administrative, legal and other measures as are considered necessary, have been taken from time to time.

Setting up of supervisory boards for banks and financial institutions

926. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Narsimhan Committee has recommended the setting of Supervisory Boards for Banks and Financial Institutions;

(b) whether eminent economists and Reserve Bank Employees Organisations have expressed strong reservations about the constitution of such boards and favoured making RBI a strong and truly autonomous body; and

(c) what action Government are taking in the respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (c) The Committee on the Financial System has inter-alia, recommended creation of a separate supervisory authority under the aegis of Reserve Bank of India. Government have received a representation from the All India Reserve Bank Employees Association and the All India Reserve Bank Officers Association in this regard. The issues contained in the representations have been taken note of by Reserve Bank of India which is formulating the structure and functions of the proposed Board.

Expenditure on untargetted subsidies

927. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to bring down the expenditure on untargetted subsidies like higher education and irrigation;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that the expenditure of the Central Government on untargetted subsidies is more than the targetted subsidies like food and agriculture; and

(d) if so, what remedial measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The 8th Five Year Plan document referes to the need for increasing the user charges on publically provided utilities, such as irrigation, electricity, water and higher education where the volume of unrecovered costs which is a subsidy to the users is very high. Action in this matter has to be taken by both the Central and State Governments.

(c) and (d) The quantum of subsidies explicitly provided in the budget is contained in the Budget documents. No qualification has been attempted with regard to hidden subsidies. However, as these areas are mainly in the State sector the expenditure on these subsidies in the Central Budget will not be as large as the subsidies on food and fertilizers etc. It is Government's endeavour to ensure that the expenditure on subsidies is kept under strict control.

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण

928. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उचित रूप से पालन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, और

(ग) इन अनियमितताओं के संबंध में गत वर्ष कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाले हिदायतों का पालन करें जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण देने से संबंधित अनुदेश भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को, अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को देने का आदेश दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में बैंकों से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उपयुक्त बैंक योजनायें तैयार करने के वास्ते विशेष प्रयास किये जायें। तदनुसार वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा स्पांसर किये गये कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाये गये लाभार्थी अपने आर्थिक उन्नयन के लिए तैयार की गई अर्थक्षम योजनाओं को शुरू कर सकें। उपर्युक्त के अलावा बैंक समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने के तौर पर उनकी मदद करने के लिए स्वयं भी योजनायें तैयार करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण-सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अगर कोई कमी ध्यान में आती है तो उसे दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

गुजरात में मार्च, 1990, 1991 के अंत तक की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई बकाया रकमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

खातों की संख्या लाख में

रकम करोड़ रूपये में

निम्नलिखित के अन्त तक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अनु०जाति/अनु० जनजाति	
	खाते	रकम	खाते	रकम	खाते	रकम
मार्च, 1990	16.05	2431	11.27	428	4.64	146
मार्च, 1991	15.91	2543	10.54	429	4.55	149

बैंकों द्वारा ऋण आवेदन सीधे ही आवेदकों अथवा किसी राज्य द्वारा प्रायोजित एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और तदनुसार मंजूर किये जाते हैं। बैंकों द्वारा, जानबूझकर लापरवाही करने वाले हिदायतों का अनुपालन न करने वाले तथा किसी कदाचार में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बैंकों की सूचना प्रणाली से उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिलती जिनके विरुद्ध आरोपों को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कार्रवाई को गई है अथवा अपेक्षित है।

राष्ट्रीय आवास बैंकों की पुनर्वित्त सुविधायें

929. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक